डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामेश्वरी पत्नि मनोहरी लाल जाति मीना निवासी मिर्जापुर तहसील टोडाभीम

वादी

बनाम

1. जयमन्ती पत्नि ठण्डीराम जाति मीना निवासी मिर्जापुर तहसील टोडाभीम।
2. ठण्डी पुत्र जौहरी जाति मीना निवासी मिर्जापुर।
3. तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 30/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू, ...हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः ग्राम मिर्जापुर स्थित आराजी ख0न0 365/0.19, 366/0.01(गै0मु0 चाह), 368/0.29 कुल किता 3 कुल रकवा 0.49 है0 मे रामेश्वरी पत्नि मनोहरी लाल जाति मीना निवासी मिर्जापुर को तथा ख0न0 365/1/0.10, 368/1/0.14 है0 मे जयमन्ती पत्नि ठण्डीराम मीना निवासी मिर्जापुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, आराजी ख0न0 362 रकवा 0.04 किस्म गै0मु0 रास्ता रामेश्वरी पत्नि मनोहरी लाल जाति मीना हिस्सा 2/3 एवं जयमन्ती पत्नि ठण्डीराम जाति मीना हिस्सा 1/3 सयुक्त रूप से खातेदारी मे रहेगा। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.12.2019 को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)
ओहदा..........................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

प्र0न0 30/17 तारीख रजू– 11.04.2017

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

रामेश्वरी पत्नि मनोहरी लाल जाति मीना निवासी मिर्जापुर तहसील टोडाभीम

वादी

बनाम

1. जयमन्ती पत्नि ठण्डीराम जाति मीना निवासी मिर्जापुर तहसील टोडाभीम।
2. ठण्डी पुत्र जौहरी जाति मीना निवासी मिर्जापुर।
3. तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल (वादी)

निर्णय दिनांकः– 18.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मिर्जापुर स्थित आराजीयात ख0न0 362 रकवा 0.04, 365/0.29, 366/0.01, 368/0.43 कुल किता 4 कुल रकवा 0.77 है0 मे वादीया हिस्सा 2/3 की तथा प्रतिवादीया न0 1 हिस्सा 1/3 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीया द्वारा पूर्व खातेदार श्री रामलाल पुत्र दुर्गालाल, मायादेवी पत्नि कैलाश जाति ब्राहामण से जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद करने के बाद खातेदारान द्वारा मौके पर वादीया को ख0न0 362, 365 व 366 का सम्पूर्ण भाग एवं ख0न0 368 रकवा 0.43 है0 मेसे 0.18 है0 बतरफ पूर्व जो ख0न0 365 वाले भाग पर वादिया का कब्जा करा दिया गया। तभी से मौके पर वादीया अपने हिस्से पर काबिज है। वादीया एवं प्रतिवादी न0 1 के मध्य मौके पर बहामी बटवारा हो रहा है। विधिवत बटवारा नही होने से वादीया को हैरान परेशान करने हेतु डौल–मेड पर विवाद किया जाता है। विधिवत बटवारा नही कराने हेतु प्रतिवादी सहमत नही होने के कारण विधिवत बटवारा कराना लाजमी हुआ है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजीयात मे कब्जाअनुसार वादीया का अलग खाता कायम किया जावे। एवं प्रतिवादी गण को वादीया के कब्जे–काश्त मे माजहमत मदाखलत नही करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी न0 3 वावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 व 2 की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया कि वादीया को ख0न0 365, 366 के सम्पूर्ण रकवा तथा ख0न0 368 के पूर्वी तरफ के रकवे 0.18 है0 पर कब्जा नही है। इसलिए दावा खारिज योग्य है। वादिया की और से वादपत्र के समर्थन मे स्वंय का शपथ पत्र व गवाह रामलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किए वकील प्रतिवादी ने जिरह पूर्ण की वकील प्रतिवादी ने किसी तरह की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की तथा दिनांक 29.01.19 को प्रतिवादी वकील एवं प्रतिवादी के उपस्थित नही होने के उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दावा बाद सुनवाई प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिकी करने का कथन किया।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये दस्तावेजो एवं बटवारा स्कीम का
कन किया गया। बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित
हूँ।

अतः ग्राम मिर्जापुर स्थित आराजी ख0न0 365/0.19, 366/0.01(गै0मु0 चाह),
/0.29 कुल किता 3 कुल रकवा 0.49 है0 मे रामेश्वरी पत्नि मनोहरी लाल जाति मीना
ासी मिर्जापुर को तथा ख0न0 365/1/0.10, 368/1/0.14 है0 मे जयमन्ती पत्नि
डीराम मीना निवासी मिर्जापुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, आराजी
0न0 362 रकवा 0.04 किस्म गै0मु0 रास्ता रामेश्वरी पत्नि मनोहरी लाल जाति मीना हिस्सा
/3 एवं जयमन्ती पत्नि ठण्डीराम जाति मीना हिस्सा 1/3 सयुक्त रूप से खातेदारी मे
रहेगा। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा
डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया
गया।

18/12/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.02 13:03:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: